3/- वर्ष 2013 को राज्य शासन द्वारा आई.टी. सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया जाना है, अत: इस विषय की प्रासंगिकता और अधिक बढ जाती है। नि:शक्तजनों तक सूचना प्रौद्योगिकी के संपूर्ण लाभ सुविधाजनक रूप में पहुंचाए जाने के उद्धेश्य से निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते है :-

समस्त शासकीय वेबसाईट्स को नि:शक्तजनों को आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना
(Making all Govt. websites Accessible to the Differently Able People)

1. वर्ल्ड वाईड वेब कंसोर्शियम (W3C) द्वारा नि:शक्तजनों की आवश्यकताओं के अनुरूप वेबसाईट्स में आवश्यक प्रावधान किए जाने के संबंध में एक विस्तृत गाईडलाईन - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) तैयार की गई है। समस्त शासकीय निकायों से यह अपेक्षा है कि उनकी वेबसाईटस WCAG गाईडलाईन के द्वितीय संस्करण (WCAG-2.0) के अनुरूप न्यूनतम लेवल 'A' की स्थिति अनिवार्यत: प्राप्त करें। यह गाईडलाईन http://w3c.org पर उपलब्ध है और हिंदी अथवा अंग्रेजी में डाउनलोड की जा सकती है। इस गाईडलाईन में यह स्पष्ट किया गया है कि नि:शक्तजनों के लिए वेब- सामग्री को देखने, सुनने पढने और समझने के उद्धेश्य से किस प्रकार अधिक से अधिक सुगम और सहज बनाया जा सकता है। सुलभ - संदर्भ के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट (www.socialjustice.nic.in) को विजिट किया जा सकता है जो WCAG-2.0 गाईडलाईन के लेवल 'AA' के अनुरूप विकसित की गई है। सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक शासकीय वेबसाईट का "WCAG - 2-0 लेवल A" के अनुरूप होना अनिवार्य कर दिया गया है।

2. इसी अनुक्रम में कृपया सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के परिपत्र (e-Gov-4) क्र. F-8-3/2012/56 भोपाल दिनांक 22.11.2012 का अवलोकन कीजिएगा जो पूर्व में आपकी ओर प्रेषित किया जा चुका है। इस परिपत्र के साथ **"भारत की शासकीय वेबसाईटस की गाईडलाईन"** (Guideline For Indian Govt. Websites - GIGW) भी संलग्न कर प्रेषित की गई थी। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा एनआईसी के सहयोग से जारी की गई इस गाईडलाईन में **कंडिका 3.1** एवं **कंडिका 7.5** विशेष रूप से अवलोकनीय है। इन कंडिकाओं में शासकीय वेबसाईटस को नि:शक्तजनों की आवश्यकताओं को अनुरूप डिजाईन किए जाने के संबंध में विस्तृत प्रावधान अंकित है जो WCAG गाईडलाईन के लेवल A की समस्त अनिवार्यताओं को समाहित करते हैं। अत: विभाग/जिला स्थित कार्यालयों/अधीनस्थ अन्य शासकीय एजेन्सियों द्वारा GIGW गाईडलाईन की उक्त कंडिकाओं का अक्षरश: पालन किया जाता है तो WACG गाईडलाईन 2.0 के लेवल A तक के प्रावधानों का पालन स्वत: ही सुनिश्चित हो जाएगा।